IS15700:2018

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज–02

सी0–1,2,3 इन्दु बिहार योजना, प्रतापगढ–230001

E-mail : cu5pratapgarh@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 SQMS

पत्रांक...1128...... / L-11 /55 दिनांक..25/04/2025

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरी द्वारा डिपाजिट कार्यो हेतु परिषद की तरफ से निम्नलिखित कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से निर्माण खण्ड प्रयागराज–02, प्रतापगढ़ में टू–बिड पद्धति पर ऑनलाइन ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा आमंत्रण की विस्तृत सूचना उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की वेबसाइट www.upavp.in तथा http://etender.up.nic.in पर देखा जा सकता है। कार्यो की मात्राएं बी.ओ.क्यू. के अनुसार होंगी।

क. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रू0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रू0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य 18 प्रतिशत जी.एस.टी. सहित (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	जनपद प्रतापगढ़ में थाना लीलापुर के मुख्य भवन में फायर फाईटिंग का कार्य।	17.69	0.36	1180.00	02 माह

ई–निविदा हेतु –

1–निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि अलग–अलग आर.टी.जी.एस के माध्यम से जमा किया जाना है। आर.टी.जी.एस. निम्नलिखित विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। कार्यालय का पता व खाते का विवरण निम्नवत है।

- खाताधारक का नाम – अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड प्रयागराज–02, प्रतापगढ़।
- बैंक का नाम – इण्डियन बैंक
- शाखा का नाम – प्रतापगढ़
- खाता संख्या – 20427943237
- आई0एफ0एस0सी0 कोड – IDIB000P673

निविदा से सम्बन्धित विवरण	तिथि व समय
Document Download start date	26.04.2025 (5:00 PM)
Document Download End date	13.05.2025 (3:00 PM)
Bid submission start date	26.04.2025 (5:00 PM)
Bid submission closing date	13.05.2025 (3:00 PM)
Technical Bid opening date	13.05.2025 (3:30 PM)
Financial Bid opening date	To be declared after opening of Technical Bid

2. निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि के मूल्य से सम्बन्धित आर.टी.जी.एस. का यू.टी.आर. नम्बर की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ अपलोड भी किया जाना अनिवार्य है।
3. प्री क्वालीफिकेशन (टेक्निकल बिड) की शर्तो को पूरा करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी।
4. फर्म/ठेकेदार का जी.एस.टी. पंजीकरण होना अनिवार्य है। नियमानुसार जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
5. निविदादाता फर्म का आयकर/श्रम विभाग में पंजीकरण होना अनिवार्य है। जो निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. निविदादाता को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबंध गठन के पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10 प्रतिशत सिक्योरिटी एफ.डी.आर/सी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़ के पक्ष में बंधक बनाकर जमा करनी होगी।

P.T.O.

7. निविदा की वित्तीय बिड के साथ दरों के तीन माह की वैधता हेतु रू0 100.00 के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा।
8. निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक के क्रम में निविदा मूल्य के परिप्रेक्ष्य व अन्य धनराशि जैसा कि शासन द्वारा निर्धारित है, के बराबर मूल्य के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करना होगा। उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रू0 10.00 के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र देना होगा।
9. किसी कारणवश खण्ड कार्यालय में उक्त तिथियों में अवकाश होने पर निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
10. समस्त कार्य लोक निर्माण विभाग/परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगें तथा केवल परिषद में अनुमोदित ब्राण्ड/मेक की सामग्री का ही प्रयोग किया जायेगा।
11. निविदा की बी.ओ.क्यू. में अंकित कार्य की मात्रा में किसी भी सीमा तक परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
12. अनुबंध गठन की प्रकिया या उसके उपरान्त यदि संज्ञान में आया कि सम्बंन्धित ठेकेदार/व्यक्ति सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों एवं संगठित अपराधों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा एवं दण्ड के रूप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में डाला जायेगा।
13. निविदादाता की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुरूप रायल्टी की रसीद/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जायेगी।
14. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबंध गठन के पश्चात होती है तो अनुबंध उसी समय निरस्त करते हुये धरोहर धनराशि जब्त करते हुये काली सूची में डाला जायेगा।
15. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य पूर्ण करने हेतु कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित साप्ताहिक प्रगति चार्ट के अनुसार करनी होगी। प्रगति आकलन पाक्षिक किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमलेटिव प्रगति प्राप्त करनी होगी। अन्यथा की दशा में अनुबंध निरस्त करने की कार्यवाही शर्तो के अनुसार की जायेगी, जिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नही होगा।
16. निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/ठेकेदार की होगी।
17. निर्माणाधीन भवन के आस–पास के भवनों की सुरक्षा के सम्पूर्ण दायित्व निविदादाता का होगा। इसे सुनिश्चित करने का शपथ पत्र रू0 100/– के स्टाम्प पेपर पर तकनीकी विड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
18. निविदा मे प्रतिभाग करने से पूर्व इच्छुक निविदादाता/ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर लें। बाद में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. निविदा दाता द्वारा तकनीकी बिड के साथ कार्यस्थल की फोटोग्राफ लेटिट्यूड एवं लांगिट्यूड के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
20. उ0प्र0 भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनिमय नियमावली वर्ष 2009 के विनिमय 24(2) के अर्न्तगत संविदा एवं श्रमिक एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अतः निविदा स्वीकृति एवं अनुबंध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर उपरोक्तानुसार पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही प्रथम देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक दशा में नियमानुसार लेबर सेस कटौती की जायेगी।
21. निविदा दाता की निविदा के साथ निर्धारित वैध प्रमाण पत्र (टी–4, टी–5,टी–6) की स्कैन की प्रति निविदा के साथ जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा मान्य नहीं होगी।
22. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर (Below) माना जायेगा।
23. यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि एवं स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपयुक्त रूप में देय होगी।
24. जी0पी0डब्लू–9 के क्लाज 40 के अनुसार कार्य के कुल लागत की 1.00 प्रतिशत की धनराशि वारन्टी के रूप में तीन वर्ष तक रोकी जायेगी।
25. जी0पी0डब्लू–9 फार्म अनुबंध का हिस्सा होगा।
26. शासनादेश सं0 622/23–12–2012–2 आडिट/08टी.सी.–2 के अनुसार बी.ओ.क्यू. की दरों से (Below) दर होने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त धरोहर धनराशि अनुबंध गठित करने से पूर्व अनिवार्य रूप से जमा करना होगा अन्यथा निविदा अमान्य होगी।

अ. 10 % (Below) तक दर पर 0.50% प्रति 1.00%कम (Below) दर पर।

ब. 10 % से अधिक (Below) दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर पर।

27. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज–02, प्रतापगढ़ को निविदा बिना कारण बताये किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध में कोई भी क्लेम मान्य नही होगा। सशर्त निविदा मान्य नही होगी।
28. किसी भी प्रकार की प्रपत्रों की हार्ड कापी स्वीकार न होगी। निविदादाता के डाउनलोड प्रपत्र अपठनीय होने पर मूल प्रति के साथ छायाप्रति वांछित होगी।
29. मुख्य अभियन्ता उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के कार्यालय आदेश संख्या–2033/अभि0अनु0/परफारमेन्स सिक्योरिटी/01 दिनांक 25.07.2022 के क्रम में परफारमेन्स गारण्टी/जमानत धनराशि अनुबन्ध गठन के समय ली जायेगी।

30 सम्बन्धी विभाग को कार्य हस्तगन कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी, जिसके उपरान्त ही अन्तिम भुगतान किया जायेगा एवं सिक्योरिटी की धनराशि प्रोजेक्ट कम्पलीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।

31 अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।

32 प्रयोग में लायी गयी निर्माण सामग्रियों का परीक्षण रिपोर्ट कार्यालय में जमा कराने के उपरान्त भुगतान का दावा मान्य होगा।

33 अनुबन्ध गठन के पश्चात् कराये गये कार्यो का मेजरमेन्ट का सत्यापन कार्यस्थल पर किया जायेगा। सहायक अभियन्ता द्वारा सत्यापित मेजरमेन्ट पर फर्म के प्रोपराईटर के हस्ताक्षर हो जाने के पश्चात् भुगतान का दावा मान्य होगा।

34 अग्निशमन कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व एवं पश्चात अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म की होगी।

35 फर्म द्वारा प्रत्येक त्रैमासिक माह में स्थापित किये गये संयत्रों की जॉच स्थल पर कराना होगा तथा चेक लिस्ट लगाना अनिवार्य रहेगा। दो वर्ष की अवधि तक 15 प्रतिशत धनराशि उक्त हेतु रोकी जायेगी।

(अभिषेक वर्मा)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 / उक्त / दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, ग्लोबल सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, प्रयागराज वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 50/6, अलोपी बाग, प्रयागराज।
3. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता, निर्माण खण्ड प्रयागराज–02, प्रतापगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि यथाशीघ्र निविदा प्रपत्र तथा बी0ओ0क्यू0 तैयार कर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
4. कैशियर, निर्माण खण्ड प्रयागराज–02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, प्रतापगढ़।
5. इंचार्ज कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय, लखनऊ को परिषद वेबसाइट पर प्रचारित–प्रसारित करने हेतु।
6. कार्यालय नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियन्ता